न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– रेनू मीना (आर. ए. एस.)

दावा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/205/2018	17.07.2018	03.12.2019

उनवान

1. हरबंश सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति ब्राहम्ण सिक्ख, निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. तीर्थ सिंह पुत्र श्री भगत सिंह जाति ब्राहम्ण सिक्ख निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर ।

.....असल प्रतिवादी

2. राजस्थान सरकार (भू0अ0)जर्ये तहसीलदार साहब, रामगढ़

..... तकमीली प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण –

1. श्री राकेश यादव एडवोकेट – वादी
2. श्री चरणजीत सिंह एडवोकेट – प्रतिवादी

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी हाल खसरा नम्बर 705 रकबा 0.25, 704 रकबा 0.17 हैक्ट0 वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित जिसका साबिक खसरा नम्बर 592 मिन रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा था, जैसा कि जमाबन्दी सम्वत 2033 से जाहिर व साबित है, जो दावा में विवादित है। विवादित हाल खसरा नम्बर 705 रकबा 0.25 हैक्ट0 मिन वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 704 रकबा 0.17 हैक्ट0 प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। साबिक खसरा नम्बर 592 में तरफ दक्षिण को वादी का कब्जा अरसे दराज से चला आ रहा है तथा तरफ उत्तर को प्रतिवादी सं0 1 का कब्जा चला आ रहा है। जो प्रतिवादी सं0 1 की दीगर आराजी खसरा नम्बर 707 से लगता हुआ है। बन्दोबस्त सम्वत 2058 में बन्दोबस्त

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

कर्मचारियों के द्वारा नक्शा ट्रेस बनाते समय वादी की आराजी को साबिक खसरा नम्बर 592 को तरफ उत्तर में व प्रतिवादी सं0 1 की आराजी को तरफ दक्षिण में दर्शा दिया। जबकि वादी की आराजी खसरा नम्बर 592 के तरफ दक्षिण में व प्रतिवादी सं0 1 की आराजी तरफ उत्तर में दीगर आराजी खसरा नम्बर 707 से लगती हुई है। इस तरह वादी के स्थान पर प्रतिवादी को एवं प्रतिवादी के स्थान पर वादी की आराजी को दर्शा दी गई है। जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून व खिलाफ कब्जा है। इसलिए उक्त नक्शा बन्दोबस्त हाल काबिल दुरूस्ती है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत घोषणात्मक व दुरूस्ती नक्शा सादिर की जाकर नक्शा हाल बन्दोबस्त को खिलाफ मौका कब्जा होने के कारण वादी के हकूकों के खिलाफ बातिल बेअसर घोषित करते हुए साबिक खसरा नम्बर 592 वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर के तरफ दक्षिण को वादी का हाल खसरा नम्बर 705 रकबा 0.25 हैक्ट0 व तरफ उत्तर को प्रतिवादी सं0 1 का खसरा नम्बर 704 रकबा 0.17 हैक्ट0 दर्ज करवाया जावे अर्थात खसरा नम्बर 704 के स्थान पर 705 एवं खसरा नम्बर 705 के स्थान पर 704 दर्ज कराया जावे व दोनों खसरा नम्बरों का रकबे के अनुसार नक्शा में दुरूस्त कर दर्शाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे जवाब में इकबाल जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि दावा वादी डिक्री कर दिया जावे इस बारे में मुझ प्रतिवादी को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही है।

वादी ने दावे के समर्थन में स्वयं वादी हरबंश सिंह ने शपथ पेश किया। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल हाल जमाबन्दी ईएक्स–1, 2, हाल नक्शा ट्रेस ईएक्स–3, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058 ईएक्स–4, जमाबन्दी सम्वत 2033 ईएक्स–5, जमाबन्दी सम्वत 2037 ईएक्स–6, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020 ईएक्स–7 की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई।

वादी के विद्वान वकील की बहस सुनी गई । वादी के विद्वान वकील ने बहस के दौरान दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 705 रकबा 0.25 हैक्ट0 वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 704 रकबा 0.17 हैक्ट0

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। साबिक खसरा नम्बर 592 में तरफ दक्षिण को वादी का कब्जा अरसे दराज से चला आ रहा है तथा तरफ उत्तर को प्रतिवादी सं0 1 का कब्जा चला आ रहा है। जो प्रतिवादी सं0 1 की दीगर आराजी खसरा नम्बर 707 से लगता हुआ है। बन्दोबस्त सम्वत 2058 में बन्दोबस्त कर्मचारियों के द्वारा नक्शा ट्रेस बनाते समय वादी की आराजी को साबिक खसरा नम्बर 592 को तरफ उत्तर में व प्रतिवादी सं0 1 की आराजी को तरफ दक्षिण में दर्शा दिया। जबकि वादी की आराजी खसरा नम्बर 592 के तरफ दक्षिण में व प्रतिवादी सं0 1 की आराजी तरफ उत्तर में दीगर आराजी खसरा नम्बर 707 से लगती हुई है। इस तरह वादी के स्थान पर प्रतिवादी को एवं प्रतिवादी के स्थान पर वादी की आराजी को दर्शा दी गई है। जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून व खिलाफ कब्जा है। इसलिए उक्त नक्शा बन्दोबस्त हाल दुरूस्त कराने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इकबाल जवाब का अध्ययन किया। वादी के विद्वान वकील की बहस पर मनन किया। जिससे प्रतीत होता है कि बन्दोबस्त सम्वत 2058 में बन्दोबस्त कर्मचारियों के द्वारा नक्शा ट्रेस बनाते समय वादी की आराजी को साबिक खसरा नम्बर 592 को तरफ उत्तर में व प्रतिवादी सं0 1 की आराजी को तरफ दक्षिण में दर्शा दिया। जबकि वादी की आराजी खसरा नम्बर 592 के तरफ दक्षिण में व प्रतिवादी सं0 1 की आराजी तरफ उत्तर में दीगर आराजी खसरा नम्बर 707 से लगती हुई है। इस तरह वादी के स्थान पर प्रतिवादी को एवं प्रतिवादी के स्थान पर वादी की आराजी को दर्शा दी गई है। जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून व खिलाफ कब्जा है। अतः नक्शा दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादी का वाद मुताबिक इकबाल जवाब स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि साबिक खसरा नम्बर 592 वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर के तरफ दक्षिण को वादी का हाल खसरा नम्बर 705 रकबा 0.25 हैक्ट0 व तरफ उत्तर को प्रतिवादी सं0 1 का खसरा नम्बर 704 रकबा 0.17 हैक्ट0 दर्ज कर अर्थात खसरा

उपखण्ड अधिकारी

नम्बर 704 के स्थान पर 705 एवं खसरा नम्बर 705 के स्थान पर 704 दर्ज किया जाता है व दोनों खसरा नम्बरों का रकबे के अनुसार नक्शा में दुरूस्त कर दर्शाया जाने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 03.12..2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेनू मीना)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– रेनू मीना (आर. ए. एस.)

दावा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/205/2018	17.07.2018	03.12.2019
	उनवान	

1. हरबंश सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति ब्राहम्ण सिक्ख, निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. तीर्थ सिंह पुत्र श्री भगत सिंह जाति ब्राहम्ण सिक्ख निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर ।

.....असल प्रतिवादी

2. राजस्थान सरकार (भू0अ0)जर्ये तहसीलदार साहब, रामगढ़

..... तकमीली प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण –

1. श्री राकेश यादव एडवोकेट – वादी
2. श्री चरणजीत सिंह एडवोकेट – प्रतिवादी

~~निर्णय~~ पर्चा डिक्री

वादी का वाद मुताबिक इकबाल जवाब स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि साबिक खसरा नम्बर 592 वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर के तरफ दक्षिण को वादी का हाल खसरा नम्बर 705 रकबा 0.25 हैक्ट0 व तरफ उत्तर को प्रतिवादी सं0 1 का खसरा नम्बर 704 रकबा 0.17 हैक्ट0 दर्ज कर अर्थात खसरा नम्बर 704 के स्थान पर 705 एवं खसरा नम्बर 705 के स्थान पर 704 दर्ज किया जाता है व दोनों खसरा नम्बरों का रकबे के अनुसार नक्शा में दुरूस्त कर दर्शाया जाने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.12.2019 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

(रेनू मीना)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)